(131)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक अपील 0094/2019/विदिशा/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 25-9-18 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 0002/अपील/2018-19.

धूरिया आत्मज पन्नालाल
निवासी ग्राम नेवली
तहसील एवं जिला विदिशा

.....अपीलार्थी

विरूद्ध

म. प्र. शासन द्वारा कलेक्टर विदिशा

.....प्रत्यर्थी

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, अपीलार्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/6/19 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 25-9-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम नेवली स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 29/3 रकबा 1.00 हेक्टेयर, जो कि शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त की गई थी, को पुत्रवधु के इलाज हेतु विक्रय की अनुमति हेतु कलेक्टर विदिशा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से तहसीलदार, लटेरी से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर प्रकरण क्रमांक 16/अ-21/2016-17 पंजीबद्ध कर दिनांक 25-10-17 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 14-8-2018 को लगभग 10 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25-9-18 को आदेश पारित कर अपील विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने के कारण अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

1. प्रकरण में यह मान्य तथ्य है कि कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण नियमानुसार जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से तहसील न्यायालय को भेजा गया था । तहसील न्यायालय ने नियमानुसार जांच करने के उपरांत जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, परन्तु दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण की परिस्थितियों, तहसील न्यायालय द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन तथा प्रकरण में आई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की नियमानुसार विवेचना किए बिना ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है ।

2. प्रकरण में यह मान्य तथ्य है कि अपीलार्थी की पुत्रवधु को दिमागी टी.बी. की गम्भीर बीमारी है और अपनी बहु के ईलाज हेतु अपीलार्थी को काफी धनराशि की आवश्यकता पड़ रही है । अपीलार्थी के पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है, जिससे वह बीमारी का भलिभांति ईलाज करवा सके । ईलाज के अभाव में अपीलार्थी की बहू की स्थिति निरन्तर गम्भीर होती जा रही है, इसलिए अपीलार्थी उक्त भूमि में से 0.02 एकड़ भूमि को विक्रय करना चाहता है, परन्तु दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किए बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की है ।

3. प्रकरण में यह मान्य तथ्य है कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के समर्थन में बीमारी से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे । अनुविभागीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलार्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति की नियमानुसार जांच करने के उपरान्त भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की गई थी, परन्तु दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किए बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की है ।

4. विचारण न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने के पूर्व इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी विचार नहीं किया कि अपीलार्थी द्वारा अपनी पुत्रवधु के ईलाज शासकीय अस्पताल में भी कराया था, परन्तु अपीलार्थी की पुत्रवधु का ईलाज शासकीय अस्पताल में नहीं हो सका, इसलिए अपीलार्थी अपनी पुत्रवधु का ईलाज निजी अस्पताल में करवाना चाहता है, परन्तु आवश्यक राशि के अभाव में

अपीलार्थी की पुत्रवधु का ईलाज भलिभांति नहीं हो पा रहा है । शासन द्वारा अपीलार्थी को प्रश्नाधीन परिवार के जीवन यापन के लिए दी गई है और अपीलार्थी अपने परिवार के सदस्य का जीवन बचाने के लिए उक्त भूमि में से केवल 0.62 एकड़ भूमि ही विक्रय करना चाहता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार किए बिना ही विवादित आदेश पारित किए गए हैं ।

5. कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी को विवादित आदेश के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई, इसलिए अपीलार्थी को विवादित आदेश की जानकारी निर्धारित समय में नहीं हो सकी । अत: समय-सीमा का बंधन अपीलार्थी के प्रकरण में लागू नहीं हो रहा है, परन्तु इसके उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की वास्तविक परिस्थितियों पर विचार किए बिना ही अपील को समयावधि बाधित मानते हुए आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायिक एवं बोलता हुआ आदेश नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा प्रकरण की मूल नस्ती का अवलोकन किये बिना ही विवादित आदेश पारित किया गया है, जबकि वरिष्ठ न्यायालय होने के आधार पर उनका यह दायित्व था कि वह प्रकरण की वास्तविक परिस्थितियां, प्रकरण की मूल नस्ती एवं विधि के प्रावधानों पर नियमानुसार विचार करने के उपरांत ही अंतिम आदेश पारित करते ।

7. प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के प्रावधानों एवं लिखित तर्कों के आधार पर अपीलार्थी न्यायालय के समक्ष प्रकरण को प्रमाणित करने में पूर्णत: सफल रहा है ।

उनके द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त कर, अपीलार्थी को भूमि विक्रय करने की अनुमति के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त ने अपीलार्थी की प्रथम अपील समय-सीमा जैसे तकनीकी आधार पर अग्राह्य की है, जबकि अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर ने प्रकरण में आदेश पारित करने के लिए कोई तिथि नियत नहीं की थी । कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया है । अपीलार्थी ने समय-सीमा की छूट हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पर इसी तथ्य का उल्लेख किया था । उपरोक्त स्थिति में अपर आयुक्त को अपील समय-सीमा में मान्य कर, गुण-दोष पर निराकरण करना चाहिए था । अत: अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 25-9-18 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील समय-सीमा में ग्राह्य कर, गुण-दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर